सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0–92/2023 **दिनांक– 12 मार्च 2023**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना-निजामाबाद

विभिन्न चोरी के अभियोग में प्रकाश में आये 04 अभियुक्त चोरी के माल के साथ गिरफ्तार

1-पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण – दिनांक 10.03.2023 को वादी श्री कासिम पुत्र सालिम फरिहा चौक थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के द्वारा लगभग 1.5 क्विंटल सरिया (पिलर हेतु जाल) चोरी हो जाने के सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 100/23 धारा-379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। जिसमें प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. वसीम पुत्र मुस्ताक निवासी पोखरा कस्वा फरीहा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ 2. मिस्टर शेख पुत्र एजाज निवासी पोखरा फरीहा थाना निजामाबाद आजमगढ़ 3. दुर्गेश यादव पुत्र लक्षिराम यादव निवासी मोहल्ला बाबूराम का पुरा फरीहा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को आज दिनांक 12.3.2023 को समय 09.30 बजे गिरफ्तार किया गया तथा धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गई।

उपरोक्त तीनों अभियुक्तगण मु0अ0सं0 65/23 धारा 379 भादवि से संबंधित होने पर माल बरामदगी के आधार पर उक्त मुकदमे में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी की गई। तथा दिनांक 11.03.2023 को वादी श्री सौरभ गुप्ता पुत्र राजेश गुप्ता ग्राम निवासी ग्राम फरिहा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा उनकी आईस्क्रीम का ठेला आरोपी प्रदीप पुत्र विहारी निवासी ग्राम दासोपट्टी थाना तहबरपुर जिला आजमगढ़ द्वारा चुरा कर ले जाने के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 103/23 धारा-379/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त प्रदीप पुत्र विहारी निवासी ग्राम दासोपट्टी थाना तहबरपुर जिला आजमगढ़ को आज समय 12.40 बजे गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण – दिनांक- 12.03.2023 को उ0नि0 सुल्तान सिंह मय हमराहीयान को सूचना मिली कि तीन व्यक्ति शिव मन्दिर के पीछे झाडियो में गैस सिलेंडर, चूल्हा व कुछ अन्य सामान लिये हुये खडे है तथा कही बेचने की फिराक में है इस सूचना पर उ0नि0 सुल्तान सिंह मय हमराही कर्म0गण में मौके पर पहुंचे कि तीनों अभियुक्त को घेर घोंटकर पकड़ लिया गया पकड़े व्यक्तियों ने अपना नाम 1. वसीम पुत्र मुस्ताक निवासी पोखरा कस्वा फरीहा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ 2. मिस्टर शेख पुत्र एजाज निवासी पोखरा फरीहा थाना निजामाबाद आजमगढ़ 3. दुर्गेश यादव पुत्र लक्षिराम यादव निवासी मोहल्ला बाबूराम का पुरा फरीहा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ बताया तथा मौके से 02 अदद पिलर जाल लोहा ,एक भगौना, एक गैस सिलेण्डर एचपी व एक गैस चुल्हा बरामद किया गया। अभियुक्तगण 1. वसीम पुत्र मुस्ताक निवासी पोखरा कस्वा फरीहा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ 2. मिस्टर शेख पुत्र एजाज निवासी पोखरा फरीहा थाना निजामाबाद आजमगढ़ द्वारा सरिया चोरी करने की बात कबूल करते हुये मु0अ0सं0 65/23 धारा 379 भादवि से संबंधित गैस चूल्हा, सिलेंडर, भगौना को ग्राम डिहवाबारी प्राथमिक विद्यालय के किचन से दिनांक 10.01.23 को चोरी करने की भी बात कबूल की तथा अभियुक्त दुर्गेश यादव पुत्र लक्षिराम यादव निवासी मोहल्ला बाबूराम का पुरा फरीहा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा बताया गया कि उसकी कबाड की दुकान है वो सामान को खरीदने के लिये आया था। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया तथा दूसरी ओर उ0नि0 सुल्तान सिंह मय हमराही कर्म0गण द्वारा ही मु0अ0सं0 103/23 धारा 379 भादवि से संबंधित अभियुक्त प्रदीप पुत्र विहारी निवासी ग्राम दासोपट्टी थाना तहबरपुर जिला आजमगढ़ को फरहाबाद चौक से मय चोरी के आईस्क्रीम के ठेला के समय 12.40 बजे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय चालान किया गया।

पंजीकृत अभियोग -

1. मु0अ0सं0 100/23 धारा-379/411 भादवि भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 103/23 धारा-379/411 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़ 3. मु0अ0सं0 65/23 धारा-379/411 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. वसीम पुत्र मुस्ताक निवासी पोखरा कस्वा फरीहा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ
2. मिस्टर शेख पुत्र एजाज निवासी पोखरा फरीहा थाना निजामाबाद आजमगढ़
3. दुर्गेश यादव पुत्र लक्षिराम यादव निवासी मोहल्ला बाबूराम का पुरा फरीहा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
4. प्रदीप पुत्र विहारी निवासी ग्राम दासोपट्टी थाना तहबरपुर जिला आजमगढ़।

बरामदगी-

1. आईस्क्रीम का ठेला 01 अदद मु0अ0सं0 103/23 धारा 379/411 भादवि से संबंधित

2. लोहे का जाल (सरिया पिलर हेतु) मु0अ0सं0 100/23 धारा 379/411 भादवि से संबंधित

3. गैस चूल्हा 01 अदद , सिलेंडर 01 अदद (HP) , भगौना 01 अदद बड़ा मु0अ0सं0 65/23 धारा 379/411 भादवि से संबंधित

आपराधिक इतिहास- उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. **उ0नि0 सुल्तान सिंह हे0 का0 परमात्मा का0 मनोज कुमार का0 इन्द्र कुमार पटेल का0 विक्रम मौर्य थाना निजामाबाद, आजमगढ**

थाना सरायमीर

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक गिरफ्तार

आज दिनांक 12.03.2023 को मुखबिर खास की सूचनां पर बस्ती नहर पुलिया बहद ग्राम बस्ती के पास से अभियुक्त सूरत गुप्ता पुत्र केशव गुप्ता ग्राम बीबीगंज थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ उम्र करीब 38 वर्ष जिसके पास से एक अवैध तमन्चा 0.315 बोर व 02 अवैध प्रतिबन्धित जिन्दा कारतूस 0.315 बोर के साथ समय करीब 13.10 बजे दोपहर को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

बरामदगी

01 तमन्चा नजायज 0.315 बोर,02 जिन्दा कारतूस 0.315 बोर, 85 रूपये

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 64/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

सूरत गुप्ता पुत्र केशव गुप्ता ग्राम बीबीगंज थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 उ0नि0 विजय बहादुर सिंह मय हमराह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

थाना तरवां

अवैध गांजा की तस्करी करने वाले 2 शातिर तस्कर गिरफ्तार

एक अभियुक्त जनपद कुशीनगर से गैंगेस्टर में वांछित है।

गिरफ्तारी विवरण:-

आज दिनांक 12.03.23 को थानाध्यक्ष बसन्तलाल मय हमराह द्वारा थानाक्षेत्र में भ्रमण के दौरान भरथीपुर तिराहे पर पहुचकर संदिग्ध ब्यक्ति/संदिग्ध वाहनो की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग में एक वाहन परमानपुर की तरफ से तेज गति से आता हुआ दिखायी दिया। जिसे पुलिस टीम द्वारा टार्च की रोशनी देकर रुकने का इशारा किया गया।

इसपर वाहन सवार द्वारा पीछे मुडकर भागने के प्रयास के दौरान गाड़ी रुकवाकर उन्हे गाड़ी से नीचे उतारकर पकड लिया गया।

पूछताछ करने पर चालक

1.राजू गुप्ता पुत्र त्रिवेणी गुप्ता उर्फ झिंगाड़ी निवासी पल्हना बाजार थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।

2. त्रिवेणी गुप्ता उर्फ झिंगाड़ी पुत्र स्व0 मद्दी गुप्ता निवासी पल्हना बाजार थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ बताया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 40 किलो 800 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया तथा बरामद वाहन वैगनार न0 UP 50 CB 9278 को 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि काफी दिनो से गांजा का कारोबार करते हैं। जिसे बेचने के लिए बैगनार कार से जा रहा था।

➡ अभियुक्त राजू ने बताया कि पूर्व में थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर में गाजा के साथ बन्द हो चुका है। जिसमें गैगेस्टर की कार्यवाही भी हुयी है जिसमें अभी हाजिर नही है।

➡ पूर्व में S.T.F व NCB के द्वारा भी अभियुक्त राजू को गिरफ्तार किया जा चुका है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 58/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना तरवा जनपद आजमगढ।

आपराधिक इतिहास-

राजू गुप्ता पुत्र त्रिवेणी गुप्ता उर्फ झिंगाड़ी निवासी पल्हना बाजार थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

1. मु.अ.सं. 430/2009 धारा 60 आबकारी अधीनियम देवगांव आजमगढ़
2. मु.अ.स. 4/22 धारा 8/20/27ए एनडीपीएस एक्ट पटहेरवा कुशीनगर
3. मु.अ.सं. 339/22 धारा 3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट पटहेरवा कुशीनगर
4. मु.अ.सं. 58/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट तरवां आजमगढ़
5. मु.अ.सं. 8/20 धारा 8/20/ व 28/29 एनडीपीएस एक्ट

देवगावं आजमगढ़

2.त्रिवेणी गुप्ता उर्फ झिंगाड़ी पुत्र मद्दी गुप्ता सा0 पल्हना बाजार थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

1. मु.अ.सं. 58/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट तरवां आजमगढ़
2. मु.अ.स. 11/2016 धारा 60 आबकारी अधीनियम तरवां आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1. राजू गुप्ता पुत्र त्रिवेणी गुप्ता उर्फ झिंगाड़ी निवासी पल्हना बाजार थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
2. त्रिवेणी गुप्ता उर्फ झिंगाड़ी पुत्र स्व0 मद्दी गुप्ता निवासी पल्हना बाजार थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

बरामदगी

40 किलो 800 ग्राम गांजा (अवैध)

वाहन वैगनार न0 UP 50 CB 9278 (घटना में प्रयुक्त)

पुलिस टीम-

S0 श्री बसन्त लाल मय हमराह उ0नि0 जावेद अख्तर मयहमराह हे0का0 प्रवीण सिहं , का0 अविनाश सिहं यादव , का0 संजय यादव , म0का0 रिंकी सिहं

नोट:-

गिरफ्तार अभियुक्तगण राजू गुप्ता पुत्र त्रिवेणी गुप्ता उर्फ झिंगाड़ी निवासी पल्हना बाजार थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ मु0अ0सं0 339/22 धारा 3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर के अभियोग में वाछितं था।